न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 219/18

विजय पुत्र टीकाराम आयु 18 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी वार्ड नंबर 2 गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

——-आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड

——अनावेदक

19-06-2018

आवेदक / अभियुक्त विजय की ओर से राजीव शुक्ला अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

अभियोक्त्री / पीड़िता एवं उसकी माँ सहित श्री एच.एस. शुक्ला अधिवक्ता ने एडवोकेट मेमो सहित पीड़िता का शपथ पत्र पेश किया, जिसकी नकल अभियोजन को दी गई।

पुलिस थाना गोहद से अपराध क्रमांक 58 / 18 अंतर्गत धारा 363 व 366-ए भा0दं0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

आवेदक की ओर से यह आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का नियमित जमानत हेतु प्रस्तुत कर घोषित किया गया है कि यह आवेदक का नियमित जमानत हेतु प्रथम आवेदन पत्र है इसके अतिरिक्त कोई अन्य आवेदन किसी न्यायालय में प्रस्तुत, लंबित या निराकृत नहीं किया गया, इस संबंध में एवं अधिवक्ता नियुक्ति के संबंध में महेंद्र शर्मा पुत्र राजाराम आयु 62 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम मालनपुर परगना गोहद, जो कि आवेदक का नाती है, ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदक के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा ४३९ दं०प्र०सं० पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक / अभियुक्त विजय की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध झूंठा अपराध कायम कर उसे बंदी बना लिया गया है, जबिक आवेदक का किसी भी अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदक निर्दोष है। आवेदक फरियादी को भगाकर नहीं ले गया है तथा वह 18 वर्षीय नवयुवक होकर अध्ययनरत छात्र है। आवेदक दिनांक 04.06.18 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की पूर्ण संभावना है। आवेदक के फरार होने व साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक सभी शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर हैं। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने प्रश्नगत घटना के समय अभियोक्त्री को नावालिंग होना बताते हुये अपराध को अति गंभीर स्वरूप का होना बताया है तथा पीड़िता के शपथ पत्र को दबाव में दिया जाना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कैफियत सिहत संपूर्ण केस डायरी का अवलोकन किया गया, जिससे दिशित है कि अभियोजन अनुसार दिनांक 12.03.18 को फिरयादी कल्यान सिंह कचहरी गोहद में तारीख पेशी करने आया था और उसकी पत्नी इंद्रा सुबह करीब 11 बजे हार में मजदूरों से फसल कटवाने चली गई थी। वह अपनी लडकी कुमारी पूनम को घर पर छोड़कर आया था। शाम करीब 7 बजे घर पहुंचा तो उसके परिवार के भतीजे जितेंद्र ने बताया कि तुम्हारी लडकी पूनम को विजय राय मोटरसाईकिल पर बिटाकर कटमा हाजी की तरफ ले गया, तब उसने अपनी लड़की को आसपास व अपनी रिश्तेदारियों में तलाश किया, परंतु कोई पता नहीं चला। उसे ऐसी संभावना है कि उसकी लड़की पूनम को विजय राय बहला फुसलाकर भगा ले गया है।

उक्त घटना के संबंध में फिरियादी कल्यान सिंह द्वारा की गई रिपोर्ट पर से आरक्षी केंद्र गोहद में अप0क0 58/18 पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर मामले में संकितत साक्ष्य के आधार पर विवेचना के दौरान धारा 366—ए भा0दं0वि0 की अभिवृद्धि की गई है, जो कि अति गंभीर प्रकृति का अपराध है। यद्यपि अभियोक्त्री ने अपनी मॉ के साथ उपस्थित होकर अभियुक्त के द्वारा उसके साथ कोई घटना घटित नहीं किये जाने एवं जमानत दिये जाने के संबंध में कोई आपित्त नहीं होने बावत शपथ पत्र पेश किया है, लेकिन जमानत के इस प्रक्रम पर मामले के गुण—दोषों पर विचार नहीं किया जा सकता है और मामले में की गई विवेचना के दौरान अभी तक संकितत साक्ष्य के आधार पर आवेदक/अभियुक्त की प्रथम दृष्ट्या संलिप्तता दर्शित है एवं उसके विरूद्ध धारा 366—ए भा0दं0सं0 का इजाफा किया गया है, जो कि अति गंभीर स्वरूप का अपराध है तथा घटना के समय अभियोक्त्री की उम्र 18 वर्ष से कम उम्र की रही होने के कारण वह अव्यस्क रही है तथा वर्तमान परिवेश में इस तरह की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

अतः अपराध की गंभीरता सहित मामले की संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक / अभियुक्त विजय की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को विधिवत

बापस की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद